



दिनांक: 05.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त को चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.08.2024 को वादी श्री सुमित पाल पुत्र सतीश पाल निवासी हरिलोक कालौनी गलीरा रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाने की सूचना के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 490/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर/अभियुक्त **सैफी कुरैशी उर्फ गूंगा पुत्र अल्लादिया निवासी गली न0 16 पीर वाली गली निकट छप्पर वाली मस्जिद कमेला कालौनी थाना मण्डी सहारनपुर** को ग्राम जन्धेडी मिनी बाईपास पर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित चोरी की मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन सं0 UP11 BP 5439 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त सैफी कुरैशी उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने यह मोटर साइकिल लगभग 6-7 दिन पहले गोमुखी मन्दिर के पास, गलीरा रोड से चोरी की थी जिसको मैं आज बैचने के लिए जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. सैफी कुरैशी उर्फ गूंगा पुत्र अल्लादिया निवासी गली न0 16 पीर वाली गली निकट छप्पर वाली मस्जिद कमेला कालौनी थाना मण्डी सहारनपुर।

अभियुक्त सैफी कुरैशी उर्फ गूंगा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 264/15 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर स0पुर।
2. मु0अ0सं0 97/24 धारा 269/270 भादवि 11/3 पशु क्रूरता अधिनियम 5/25 अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 228/23 धारा 323/325/504 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 510/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 505/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 15/2022 धारा 414/420/465 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 16/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 490/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री अभिषेक चौरषिया थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. है0का0 430 सतपाल सदर बाजार सहारनपुर।
4. का0 2011 अजय तोमर थाना सदर बाजार सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:05.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1- पोपीन पुत्र सुमेरचन्द निवासी ग्राम सिसौनी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 989/19 व मु0अ0सं0 253/19 धारा 354क/325/506/452 भादवि थाना बडगाँव व 2- गोपी पुत्र राम निवासी ग्राम सिसौनी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 157/21 , मु0अ0सं0 16/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डी0)/न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर में ग्राम सिसौनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता

- 1- पोपीन पुत्र सुमेरचन्द निवासी ग्राम सिसौनी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 2- गोपी पुत्र राम निवासी ग्राम सिसौनी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

- 1- उ0नि0 श्री बिजेन्द्र शर्मा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री शहरोज आलम थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 2- कां0 1975 चमन सिंह थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 3- हो0गा0 2024 प्रीतम थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी की घटना कारित करने से पहले 03 गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 जिन्दा गौवंश व गौकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व गौकशी की घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.09.2024 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 03 संदिग्ध व्यक्ति बरसाती नदी के किनारे जंगल में सिकंदरपुर जाने वाले रास्ते के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं इस सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 गौकश अभियुक्तगण 1. मोहतसीम उर्फ छोटा पुत्र असगर निवासी ग्राम पाडली, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर, 2. साजिद उर्फ बाडा उर्फ कुरकुरा पुत्र शमशाद निवासी ग्राम नानूवाला, थाना मिर्जापुर व 3. फरमान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम पाडली, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर को बरसाती नदी के किनारे सिकंदरपुर जंगल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 जिन्दा गौवंश व गौकशी के उपकरण (01 कुल्हाड़ी, 02 छुरी, 01 दाव) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0-143/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोग आपस में दोस्त हैं। हमारे पास कोई काम भी नहीं है पैसों की बहुत परेशानी चल रही थी। इसी कारण पैसों के लालच में हम लोगो ने गौकशी कर मांस बेचकर पैसा कमाने की योजना बनायी थी। इसी योजना के तहत हम लोग कल रात में बरसाती नदी के किनारे जंगल में गौकशी करने के चक्कर में सुनसान जगह की तलाश कर रहे थे, कि पुलिस ने हम लोगो को घेर कर पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. मोहतसीम उर्फ छोटा पुत्र असगर निवासी ग्राम पाडली, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर
2. साजिद उर्फ बाडा उर्फ कुरकुरा पुत्र शमशाद निवासी ग्राम नानूवाला, थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. फरमान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम पाडली, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 जिन्दा गौवंश
- 01 कुल्हाड़ी
- 02 छुरी
- 01 दाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नवीन कुमार सैनी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 294 उदित मलिक मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. का0 2284 श्रीकृष्ण कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा बन्द घरों में चोरी की घटना कारित करने वाले

02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये पीली/सफेद धातु के

आभूषण व 01 लाख 60 हजार रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.09.2024 को वादी श्री गुलनवाज पुत्र मौ० फैजान नि० मौहल्ला अमन विहार कालोनी, निकट हमजा मस्जिद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से सोने चाँदी के आभूषण व रुपये चोरी कर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु०अ०सं० 258/2024 धारा- 305A BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण 1. मोबीन पुत्र सरफराज अंसारी निवासी गली नं० 25 निकट सकूरी मस्जिद थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर व 2. नफीस उर्फ मोनू पुत्र निसार अहमद निवासी गली नं० 05 एकता कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को डबनी कब्रिस्तान में बनी कोठरी के पीछे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गये आभूषण व कुल 01 लाख 60 हजार रुपये नकद (अभियुक्त मोबीन से 80 हजार रुपये नकद, 01 गिलास सफेद धातु, 01 सफेद धातु की कटोरी, 01 जोड़ी पांजेब सफेद धातु, 01 सिंगल पांजेब सफेद धातु, 02 तसबी(माला) सफेद धातु, 01 सिक्का सफेद धातु, 03 हाथ के कड़े सफेद धातु, 01 जोड़ी कानो की टाप्स पीली धातु, 03 नोज पिन पीली धातु, 01 सफेद धातु की अंगुठी व अभियुक्त नफीस से 80 हजार रुपये नकद, 04 जोड़ी पांजेब सफेद धातु, 01 जोड़ी कान के टाप्स पीली धातु, 01 सिक्का सफेद धातु, 01 डायमण्ड का लाकेट, 02 कान के टाप्स डायमण्ड, 01 कटोरी सफेद धातु, 01 झुनझुना, 01 चम्मच सफेद धातु) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया कि यह जेवरात व रुपये हम दोनों ने 02.09.2024 को अमन विहार कालोनी से एक मकान में अन्दर घुसकर चोरी किये थे, चोरी करके यह सामान और रुपये हमने डबनी कब्रिस्तान में ही झाड़ियों में छिपा दिया था तथा नकद रूपयों में से 20,000/- रुपये हम लोगों ने तभी अपने खर्च पानी के लिए निकाल लिये थे, जो हमने अपने खाने पीने पर खर्च कर दिये हैं। बाकी पैसे व जेवरातों को आज हम दोनों आपस में बांटने के लिए यहां आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- मोबीन पुत्र सरफराज अंसारी निवासी गली नं0 25 निकट सकूरी मस्जिद थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर
- नफीस उर्फ मोनू पुत्र निसार अहमद निवासी गली नं0 05 एकता कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 80 हजार रूपये नकद, 01 गिलास सफेद धातु, 01 सफेद धातु की कटोरी, 01 जोड़ी पांजेब सफेद धातु, 01 सिंगल पांजेब सफेद धातु, 02 तसबी(माला) सफेद धातु, 01 सिक्का सफेद धातु, 03 हाथ के कड़े सफेद धातु, 01 जोड़ी कानो की टाप्स पीली धातु, 03 नोज पिन पीली धातु, 01 सफेद धातु की अंगुठी (अभियुक्त मोबीन से)
- 80 हजार रूपये नकद, 04 जोड़ी पांजेब सफेद धातु, 01 जोड़ी कान के टाप्स पीली धातु, 01 सिक्का सफेद धातु, 01 डायमण्ड का लाकेट, 02 कान के टाप्स डायमण्ड, 01 कटोरी सफेद धातु, 01 झुनझुना, 01 चम्मच सफेद धातु (अभियुक्त नफीस से)

अभियुक्त मोबीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 146/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 275/21 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 355/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
4. मुअ0स0 96/24 धारा 380/411/547 भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
5. मु0अ0स0 100/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

अभियुक्त नफीस उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 41/2024 धारा 392/411 भादवि थाना मण्डी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 12 अंकुश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को नाजायज चाकू सहित किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त सूरज पुत्र विक्रम निवासी सुशीला गार्डन शिवपुरी कालोनी थाना व कस्बा रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को एक अवैध चाकू सहित पारस पुरम कालोनी, पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 374/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ तथा छोटी मोटी चोरी कर लेता हूँ। लोगो को डराने धमकाने व लोगो पर रौब जमाने के लिये अपने पास चाकू रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सूरज पुत्र विक्रम निवासी सुशीला गार्डन शिवपुरी कालोनी थाना व कस्बा रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद चाकू

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 204/22 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. मु0अ0स0 207/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. मु0अ0स0 374/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री जगवीर सिंह को0देहात सहारनपुर
2. का0 77 अरुण कुमार थाना को0 देहात स0पुर
3. का0 1551 अमित कुमार थाना को0 देहात स0पुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:05.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को नाजायज चाकू सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त उमर पुत्र जावेद निवासी मौ0 खानकाह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** नहर पटरी नया गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 206/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपनी सुरक्षा व लोगो को डराने/धमकाने के लिए अपने पास चाकू रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

उमर पुत्र जावेद निवासी मौ0 खानकाह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

एक अदद चाकू नाजायाज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

- 1- उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री ब्रह्मगिरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 3- कां0 2172 वरुण कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 05.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त राशीद पुत्र हसन उर्फ हासीम नि0 ग्राम झबीरण थाना सरसावा सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 3216/24 धारा 279/304ए/427/504 भादवि में ग्राम झबीरण से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

राशीद पुत्र हसन उर्फ हासीम नि0 ग्राम झबीरण थाना सरसावा सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर
2. हे0का0 845 तेजिन्दर थाना सरसावा सहारनपुर
3. का0 1497 मोनू थाना सरसावा सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 05.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द साइबर हेल्प डैस्क द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगे गये 39800/- रुपये

पीडित के खाते में कराये गये वापस

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05/09/2024 को थाना देवबन्द साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा **वादी अभित पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम देहरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को ऑनलाइन नटराज पैन्सिल पैकिंग का काम दिलाने के नाम पर 39,800/- रुपये की साइबर ठगी कर ली गई थी। वादी की सूचना पर थाना देवबन्द पर पंजीकृत मु0अ0सं0245/24 धारा 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट के पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विधिक कार्यवाही करते हुए ठगी गयी शतप्रतिशत धनराशि 39,800/- रुपये पीडित के खाते में वापस करायी गयी। धनराशि वापस पाकर पीडित ने पुलिस का आभार प्रकट किया है।

वापस करायी गयी धनराशि का विवरण:-

39800/-रुपये (उन्नतालीस हजार आठ सौ रुपये) वापस कराये

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 संजीव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 आरिफ अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. रूपेन्द्र सिंह कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक 05-09-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 32 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 31.10.2020 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-फैजान पुत्र नवाब 2-अमजद पुत्र नवाब 3-फुलबानों पत्नी अमजद निवासीगण हरियाबांस थाना गागलहेडी द्वारा वादी की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना, दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0-320/2020 धारा 363,376,366,506, भादवि व 3/4 पोक्सों अधिनियम पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 197/2024 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 05.09.2024 को फैजान पुत्र नवाब निवासी हरियाबांस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-320/2020 धारा 363,376,366,506, भादवि व 3/4 पोक्सों अधिनियम का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 32 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री विवेक कौशिक

विवेचक उनि0 श्री गम्भीर सिंह

पैरोकार का0 1360 रजनीश तोमर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।